राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग राज0, जयपुर

क्रमांक :– एफ.5(31)लेखा/प्रकीर्ण/मिटिंग/ऑडिट समिति/2016–17/ 19422-19522 दिनांक : 15/01/2021

समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक
समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त उपनिदेशक एवं अन्य समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
पशुपालन विभाग,
राजस्थान।

विषयः– अंकेक्षण आक्षेप निस्तारण हेतु संभाग स्तरीय शिविरों का आयोजन।

दिनांक 13.01.2021 को आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की द्वितीय बैठक में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा दियें गए निर्देशानुसार अंकेक्षण अनुच्छेदों के निस्तारण के लिए बकाया अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित पालना करवाने हेतु संभाग स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जायेगा ताकि बकाया अनुच्छेदों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके। इस हेतु निम्नलिखित अनुसार कार्यक्रम का निर्धारण कर दलों का गठन किया जाता हैं–

क्र. स.	दल सदस्य मय पद नाम	शिविर आयोजन दिनांक	शिविर आयोजन
1.	श्री दुर्गेश राजोरिया, वित्तीय सलाहकार डॉ. सत्येन्द्र बसवाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री कैलाश मीणा द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार	21.01.2021 से 05.02.2021	अति0 निदेशक, (क्षेत्र) पशुपालन विभाग, जयपुर एव जयपुर संभाग के अन्य कार्यालय
2.	श्री जयनारायण वर्मा, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री रोहिताश कुमार, कनिष्ठ लेखाकार	28.01.2021	अति0 निदेशक, बीकानेर
3.	डॉ. सत्येन्द्र बसवाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री कैलाश मीणा प्रथम, कनिष्ठ लेखाकार	01.02.2021. से 02.02.2021	कार्यालय अति0 निदेशक, भरतपुर।
4.	श्रीमति आशा आयलदास, सहायक लेखाधिकारी प्रथम श्रीमति आरति जैन, कनिष्ठ लेखाकार	03.02.2021 से 04.02.2021	कार्यालय अध्यक्ष, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर
5.	श्री गोपाल जी माली, सहायक लेखाधिकारी प्रथम श्री अशोक बुनकर, वरिष्ठ सहायक	01.02.2021 से 02.02.2021	अति0 निदेशक, उदयपुर
6.	श्रीमति नीलम भार्गव, सहायक लेखाधिकारी प्रथम सुश्री विजयलक्ष्मी, कनिष्ठ लेखाकार	01.02.2021 से 02.02.2021	अति0 निदेशक, कोटा
7.	श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, अति0 निदेशक(क्षेत्र), जयपुर श्री गंगानारायण माथुर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03.02.2021 से 04.02.2021	अति0 निदेशक, जोधपुर
8.	श्री धीरज खन्ना, सहायक लेखाधिकारी प्रथम श्री केदार सौंख्या, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कार्यालय सयु0 निदेशक, जयपुर।	01.02.2021 से 02.02.2021	अति0 निदेशक, अजमेर

उक्त दल निम्नलिखित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे–

1. महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदन तथा विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंकित बकाया अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित पालना प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. विभागीय निरीक्षण प्रतिवेदनों के सत्यापन के आधार पर निरस्त अनुच्छेदों की पालना के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही कर तदनुसार टिप्पणी भी अंकित करेंगे।
3. चूंकि प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा बकाया आक्षेपों की बढ़ती संख्या को गंभीरता से लिया जा रहा हैं। अतः सभी अति0 निदेशक उक्त कार्यक्रम की पालना संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इन शिविरों के पश्चात् सभी सम्भाग अधिकारीयों की नियमित रूप से ऑनलाइन या ऑफलाइन साप्ताहिक बैठक आयोजित कर पालना/प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
5. तत्पश्चात् महालेखाकार का शिविर निदेशालय में आयोजित किया जायेंगा अतः उक्त शिविर से पूर्व अधिकाधिक अनुच्छेदों का नियमानुसार निस्तारण करवानें हेतु ठोस एवं सारगर्भित पालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. माह मार्च के प्रथम सप्ताह में राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की तृतीय बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं। अतः उक्त बैठक से पूर्व अधिकाधिक अनुच्छेदों का नियमानुसार निस्तारण करवानें हेतु ठोस एवं सारगर्भित पालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. सभी अति0 निदेशक क्षेत्र. अपने क्षेत्र के सभी सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक /समस्त कार्यालयाध्यक्षो को शिविर में समय पर मय पालना मय दस्तावेज उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें।
8. शिविर से पूर्व सभी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष आक्षेपों की ठोस व सारगर्भित पालना कर ले ताकि शिविर में अनावश्यक समय न लगे।
9. दल सदस्य शिविर हेतु प्रस्थान करने से पूर्व लेखा शाखा से सम्पर्क कर बकाया अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति ज्ञात कर लें ताकि शिविर में अनावश्यक समय न लगें।
10. अद्योहस्ताक्षरकर्ता या वित्तीय सलाहकार द्वारा कभी भी इन शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता हैं।

निदेशक

क्रमांक :– एफ.5(31)लेखा/प्रकीर्ण/मिटिंग/ऑडिट समिति/2016–17/ दिनांक :

प्रतिलिपिः– सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।

वित्तीय सलाहकार